Cattle Feed Plant, Kaladera

Unit of: JAIPUR ZILA DUGDH UTPADAK SAHAKARI SANGH Ltd., JAIPUR

बारदाना हेतु निविदा प्रपत्र

1. निविदा का विवरण : पुराना बारदाना (बोरियों) का विक्रय
2. निविदा प्राप्त करने की तिथि व समयः 25 तारीख को दोपहर 3.00 बजे
3. निविदा खोलने की तिथि व समय 25 तारीख को दोपहर 3:30 बजे (संबधित तारीख को रविवार/अवकाश होने पर अगले कार्य दिवस को)

   जयपुर जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि., जयपुर
   गांधी नगर रेलवे स्टेशन के पास, जयपुर – 302015

4. फर्म का नाम व पूर्ण पता :

5. दूरभाष संख्या कार्यालय निवास :

6. जीएसटी नम्बर :

7. पुराना बारदाना क्रय करने की एक्स संयन्त्र दरें

   जुट

   रू .... प्रति किग्रा (शब्दों में रूपयें .... प्रति किग्रा)

   प्लास्टिक बैग, HDPE/LDPE/PP etc. बारदाना

   रू .... प्रति किग्रा (शब्दों में रूपयें .... प्रति किग्रा)

8. निविदा स्वीकृति आदेश जारी होने की तिथि से ही बारदाना उठा लिया जाना आरंभ कर दिया जावेगा। स्वीकृत बारदाना उठाने की गति इस तरह से रखी जावेगी कि एक से दो गाडी से अधिक का बारदाना कभी एकत्रित न हो। मै सहमत हूँ कि यह एक अहम शर्त हैं और में इसकी पालना सुनिश्चित करूँगा।

9. मै यह घोषणा करता हूँ कि निविदा की समस्त शर्तें पढ एवं समझ ली गई हैं तथा उनसे मै पूर्ण रूप से सहमत हूँ जिसके प्रतीक स्वरूप मैंने पंजीकरण प्रपत्र एवं संविदा शर्तो पर हस्ताक्षर कर दिये थे तथा उनका पालन करते हुए अपनी दरें दे रहा हूँ।

10. उक्त दरें एक माह के लिए मान्य होगी।

पंजीयन कराने वाले के हस्ताक्षर

- **केवल जयपुर दुग्ध संघ में पंजीकृत फर्म के लिएः**

निविदा का विवरण :	पुराना बारदाना का विक्रय (जूट एवं प्लास्टिक)
निविदा प्रस्तुत करने का समयः	दोपहर 3.00 बजे तक
निविदा खोलने का समयः	दोपहर 3.30 बजे

- **रजिस्ट्रेशन प्रकिया**

रजिस्ट्रेशन हेतु आवेदन की तिथि	प्रत्येक माह की 20 तारीख तक (कार्यालय समय में)

आवश्यक दस्तावेज

1. रजिस्ट्रेशन फार्म पूर्ण भरा हुआ मय हस्ताक्षर
2. संघ का नोमिनल मेम्बर बनने हेतु रूपयें 110/- की रसीद
3. रजिस्ट्रेशन शुल्क : रूपयें 25,000/- का डीडी/चैक (चैक एवं डीडी जयपुर जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि0, जयपुर के नाम से देय)
4. फर्म के लेटर हैड पर रजिस्ट्रेशन हेतु प्रार्थना पत्र।
5. स्वयं से प्रमाणित आधार कार्ड की छाया प्रति
6. स्वयं से प्रमाणित पेन कार्ड की छाया प्रति एवं
7. स्वयं से प्रमाणित जीएसटी रजिस्ट्रेशन सर्टिफीकेट

अवकाश या रविवार होने की स्थिति में अगले कार्यालय दिवस में रजिस्ट्रेशन एवं निविदा दर प्राप्त की जावेंगी।

Cattle Feed Plant, Kaladera

Unit of: JAIPUR ZILA DUGDH UTPADAK SAHAKARI SANGH Ltd., JAIPUR

पुराना बारदाना हेतु रजिस्ट्रेशन के लिए इच्छुक पार्टी का विवरण

1. फर्म का नाम और पूरा पताः

2. जीएसटी नम्बर व पेन नम्बर (फोटो प्रति संलग्न करें)

3. पत्राचार का स्थाई पता एवं फोन नम्बर इत्यादि
   - अ) स्वामी / साझेदार का नाम :
   - ब) पत्राचार का पूराः
   - स) मोबाईल नम्बर एवं नाम
   - द) ई–मेल पता
   - य) फोन नम्बर मय एसटीडी कोड़

4. रजिस्ट्रेशन हेतु राशि का विवरणः
   - अ) राशि ....
   - ब) डीडी / रसीद नम्बर

5. हस्ताक्षर मय नाम व मोहर

सत्यापन

मेरे द्वारा उपलब्ध करवाई गई सम्पूर्ण जानकारी पूर्णतया सत्य एवं सही हैं।

शपथ ग्रहिता के हस्ताक्षर मय सील

पुराना बारदाना विक्रय हेतु निविदा संविदा नियम एवं शर्ते

बारदाना निविदा में भाग लेने के लिये प्रत्येक निविदादाता को पशु आहार संयत्र, कालाडेरा के लिए पंजीयन करवाना होगा।

पंजीयन कराने के लिये प्रात्रता एवं मापदण्ड

1. पंजीयन हेतु एक मुस्त राशि रुपये 25,000/– (अक्षरे रुपये पच्चीस हजार मात्र) रोकड/डी.डी./पे–ऑर्डर अथवा बैंकर चैक पशु आहार संयन्त्र, कालाडेरा के नाम बनाकर जयपुर जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड, जयपुर में जमा करवानी होगी। जमा राशि पर कोई ब्याज देय नहीं होगा। पंजीकृत निविदादाता द्वारा स्वयं के पंजीयन को निरस्त करवाने का आग्रह करने पर पंजीयन निरस्त कर दिया जावेगा व बकाया जमा धरोहर राशि (कोई बकाया नही प्रमाण पत्र देने के बाद) वापस लौटाई जा सकेगी।
2. पंजीकरण उन फर्मो, व्यापारियों द्वारा ही करवाया जाना चाहिये :–
   1. जो पुराने बारदाने का व्यवसाय कर रहे है।
   2. बिक्री कर विभाग में पंजीकृत हैं व जिनके पास वैध आरएसटी/सीएसटी/टिन नम्बर हैं। (यह नम्बर न केवल निविदा प्रपत्र में यथा स्थान भरा जाना हैं, वरन निविदाकर्ता के लेटर हैड पर भी मुद्रित होना चाहिये साथ ही इसकी प्रति निविदा पंजीयन प्रपत्र के साथ संलग्न की जानी हैं।)
   3. उपरोक्त पंजीकरएा प्रमाण पत्र में निविदाकर्ता का पुराने बारदाने का व्यवसाय करने का स्पष्ट रूप से उल्लेख होना चाहियें।
3. सफल निविदाकार अपनी निविदा अथवा उसके सारभूत किसी को न तो किसी अन्य ऐजेन्सी को सौप सकेगा और ना ही किसी को आगे निविदा पर दे सकेगा। ऐसा पाये जाने पर पंजीयन निरस्त कर दिया जावेगा व जमा पंजीयन/धरोहर राशि जब्त करली जावेगी।
4. निविदाकार निविदा और करार की शर्तो और प्रतिबन्धों की स्वीकृति के प्रतीक स्वरूप रजिस्ट्रेशन प्रपत्र के प्रत्येक पृष्ठ के अन्त में हस्ताक्षर करेगा।
5. उक्त अनुबन्ध, राजस्थान सहकारी सोसायटी अधिनियम के अनुसार संचालित होगा।
6. सफल निविदादाता को संघ का नोमिनल सदस्य बनना होगा। इस हेतु रूपये 110/– नकद संघ में जमा करवाकर रसीद प्राप्त की जावेगी एवं इसकी प्रतिलिपि टेण्डर कमेटी को देनी होगी।

निविदा आमन्त्रित करने व खोलने की प्रकिया का विवरण व संबंधित शर्ते :–

1. एक बार पंजीयन करवाने पर पंजीकृत पार्टी प्रत्येक माह की 25 को दोपहर 3.30 बजे खुलने वाली निविदा में भाग ले सकेगी। यदि उक्त दिवस कोई अवकास इत्यादि होता हैं तो उक्त निविदा उसके अगले कार्यालय दिवस को 3.00 बजे तक प्राप्त कर 3.30 बजे खोली जावेगी।
2. बरदाना की अनुमानित संख्या निविदा खुलने की तिथि से एक दिन पूर्व अर्थात 24 तारीख को पशु आहार संयत्र, कालाडेरा के नोटिस बोर्ड पर चस्पा कर दी जावेगी। निविदा में केवल पंजीकृत पार्टियाँ ही भाग ले सकेगी, जिनके हस्ताक्षर रजिस्ट्रेशन डोक्युमेण्ट से सत्यापित किये जावेंगे
   भिजवाने की दशा में प्रतिनिधि को अधिकृत करने का प्रमाण पत्र प्रतिनिधि के साथ में भिजवाना अनिवार्य होगा अन्यथा वह निविदा में भाग लेने हेतु अयोग्य माना जावेगा।
3. दरें स्याही से भरी हुई हों, दरों में कोई कॉट–छॉट नहीं हों। पैंसिल से भरी हुई दरें निविदा हेतु अयोग्य समझी जावेगी। यदि किसी प्रकार की कॉट–छॉट हो तो उस पर निविदादाता के हस्ताक्षर होने आवश्यक होंगे। दरों की ईकाईयों में किसी भी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं किया जाना चाहिये और दरें अंकों के साथ शब्दों में भी अवश्य लिखी जानी चाहिये। अंकों में व शब्दों में राशि में भिन्नता पाये जाने पर शब्दों में लिखी दर को सही माना जावेगा।
4. पुराना बारदाना की निविदा में भाग लेने के लिये अपने ऑफर मोहरबन्द लिफाफे में व्यक्तिशः अथवा

पंजीकृत डाक द्वारा या फेक्स द्वारा उस माह की 25 तारीख की दोपहर 3.00 बजे तक पहुॅच जाने चाहिये। दोपहर 3.00 बजे के बाद प्राप्त ऑफर को निविदा हेतु अयोग्य माना जावेगा व उसे खोला नहीं जावेगा।

5. बोरियों की दरें प्रति किग्रा के हिसाब से दी जावेगी एवं गली हुई बोरी, (स्क्रेप) की दरे प्रति क्विंटल मांगी जाने पर देनी होगी।
6. प्रबन्धक, पशु आहार संयत्र, कालाडेरा को अधिकार होगा कि वे अन्य सरकारी, सहकारी उपक्रमों के पक्ष में भी दरें स्वीकार कर सकते हैं।
7. (अ) यदि आवश्यक समझा गया तो दरें आपसी वार्ता 'नेगोशियेशन' द्वारा भी तय की जा सकती हैं।
   (ब) पशु आहार संयत्र, कालाडेरा को एक से अधिक फर्मो की दरें अनुमोदित करने का अधिकार होगा।
8. निविदा की किसी भी शर्त के उल्लंघन पर धरोहर राशि जब्त करने
   संयन्त्र कालाडेरा को होगा।
9. इस कार्यालय से कार्य आदेश/ठेका अनुमोदन आदेश जारी होने के उपरान्त अनुमोदित निविदादाता और संयत्र के बीच अलग से कोई अनुबन्ध संपादित नहीं किया जावेगा बल्कि हस्ताक्षरित रजिस्ट्रेशन प्रपत्र को ही न्यायिक दृष्टि से विधिवत संपादित हुए अनुबन्ध के रूप में मान लिया जावेगा।
10. बारदाने का मू ी दर्शाया जाना चाहिये तथा राज्य सरकार द्वारा निर्धरित विक्रय एवं अन्य प्रकार के कर उसमें सम्मिलित नहीं माने जावेंगे जिन्हें निविदादाता द्वारा ही वहन किया जावेगा।
11. संयत्र से बारदाना क्रय की दरें उपलब्ध करवाये गये प्रोफार्मा में देनी होगी अन्यथा दरें मान्य नहीं होगी।
12. निविदा प्रस्ताव में निविदादाता द्वारा अपनी ओर से जोडी/दी गई किसी प्रकार की कोई शर्त मान्य नही होगी।
13. किसी भी निविदा को अथवा सभी निविदाओं को बिना कारण बताये अस्वीकार करने अथवा अधिकतम निविदा के अतिरिक्त किसी अन्य निविदा को
    कालाडेरा के पास सुरक्षित होगा।
14. निविदा में प्रस्तुत दर स्वतः मानकर अनुमोदित की जावेगी कि अनुमोदित क्रेता ने जिस बारदाने की दर दी हैं जिसकी किस्म की उसे पूर्ण जानकारी हैं। अनुमोदनोपरान्त पार्टी को बारदाने की क्वाालिटी के सम्बन्ध में किसी प्रकार की आपत्ति का अधिकार नहीं होगा।
15. निविदा प्रपत्र में लिखी गई बारदाने की मात्रा अनुमानित हैं। माल उठाने के दौरान यह कम ज्यादा हो सकती हैं।

पुराना बारदाना उठाने की कार्य अवधिः–

1. पुराना बारदाना उठाने का समय एक माह का होगा अर्थात् निविदा खुलने की तिथि के बाद प्रत्येक माह की 01 तारीख से माह की अन्तिम तारीख तक। उदाहरणार्थ 25.01.2016 को खुलने वाले टेण्डर का बारदाना उठाने की अवधि 01.02.2016 से 29.02.2016 तक की होगी।

पुराना बारदाना उठाने से संबंधित विभिन्न शर्तेः–

1. निविदादाता माह के दौरान जैसे–जैसे बारदाना खाली हो वैसे–वैसे उठाने की कार्यवाही करेगा ताकि एक या दो गाडी से ज्यादा बारदाना इकट्ठा नहीं हो।
2. पुराना बारदाना, रैग्स एवं साबुत बारदाना की संख्या का निर्धारण बारदाना की वास्तविक स्थिति को देखते हुए किया जावेगा।
3. सफल निविदादाता को बारदाना ''जहॉ हैं जैसा हैं'' उसी स्थिति में बिना छंटनी किये उठाना होगा।
4. केवल गले हुए टुकडे, एवं एक पडत को छोडकर समस्त बारदाना जिसके दो परत व चार कोने हो बोरी की श्रेणी में आयेगी।
5. बेरियों की संख्या उत्पादन में काम में आने वाले कच्चे माल में काम में आने पर निर्भर होगी।
6. पूरी ठेका अवधि में यदि बोरी/स्क्रेप की कोई मात्रा अनुमोदित ठेकेदार को उपलब्धता न होने के कारण ऑफर नहीं की जाती हैं तो ऐसी दशा में ठेकेदार किसी प्रकार के हर्जाने/खर्चा प्राप्त करने का

न तो हकदार होगा और न ही ठेका अवधि से पूर्व उसकी धरोहर राशि उसे [illegible]

7. बारदाने को उठाने व परिवहन करने का व्यय निविदाकार द्वारा वहन किया जावेगा।
8. संयत्र के गोदाम या खुले में रखे बारदाने को अनुमोदित क्रेता को सम्भलवाने के उपरान्त बारिश, दीमक आदि से सुरक्षा की जिम्मेदारी उसकी स्वयं की होगी।
9. केवल अधिकृत व्यक्ति को ही संयत्र में बारदाने के बण्डल बांधने/प्राप्त करने के उद्देश्य से प्रवेश का अधिकार होगा।

शास्ति

यदि सफल निविदादाता स्वीकृत अवधि के दौरान बारदाना उठाने में असफल रहता हैं तो उसकी जमा धरोहर राशि जब्त कर ली जावेगी व उसक पंजीयन निरस्त कर दिया जावेगा।

आर्बीट्रेशन

अनुबन्ध अवधि के दौरान किसी प्रकार के विवाद उत्पन्न हो जाने की स्थिति में उसे ''आर्बीट्रेशन'' को निर्णय हेतु रेफर किया जावेगा। प्रबन्ध संचालक, जयपुर जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड, जयपुर अथवा उनके द्वारा मनोनीत अधिकारी सोल आर्बिट्रेशन होंगा जिनका निर्णय दोनो पक्षों को मान्य होगा।

न्यायायिक क्षेत्राधिकार

किसी भी प्रकार के न्यायालय का क्षेत्राधिकार जयपुर होगा।

प्रकाशित निविदा की समस्त शर्ते स्वतः ही इसमें सम्मिलित मानी जावेगी। उपरोक्त समस्त शर्ते मैंने पढ व समझ ली हैं तथा मुझे [illegible] हैं।

पंजीयन कराने वाले के हस्ताक्षर